सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 20/2016 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS No.: 2016/00037

अनवान

1. श्री मोहन पिता दल्ला मीणा, निवासी सरसियाफला बदलाई, तहसील सराडा।
2. श्री हीरा पिता रूपा मीणा, निवासी सरसियाफला बदलाई, तहसील सराडा।
3. श्री चकरा पिता मोगा मीणा, निवासी सरसियाफला बदलाई, तहसील सराडा।
4. श्री चतरा पिता मोगा मीणा, निवासी सरसियाफला बदलाई, तहसील सराडा।
5. श्री चतरा पिता पूंजा मीणा, निवासी सरसियाफला बदलाई, तहसील सराडा।
6. श्री रूपा पिता दल्ला मीणा, निवासी सरसियाफला बदलाई, तहसील सराडा।
7. श्री लक्ष्मण पिता मोगा मीणा, निवासी सरसियाफला बदलाई, तहसील सराडा।
8. श्री नानजी पिता हकरा मीणा, निवासी सरसियाफला बदलाई, तहसील सराडा।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मृतक श्री लक्ष्मण पिता भेरा मीणा के बजाय :–
   1/1 श्री नाना पिता लक्ष्मण मीणा, निवासी सरसियाफला, उपला, तहसील सराडा।
   1/2 श्री लालूराम पिता लक्ष्मण मीणा, निवासी सरसियाफला, उपला, तहसील सराडा।
2. सरकार जरिये तहसीलदार सराडा, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री रमेश नन्दवाना अभिभाषक प्रार्थीगण।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 22-03-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 04/2010 अनवान मोहन पिता दल्ला मीणा व अन्य बनाम लक्ष्मण पिता भेरा मीणा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2011 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 22.10.1977 को बहाल रखा गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 71/2011 में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2016 अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.03.2011 को अपास्त किया जाकर उनके द्वारा दिये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत विभिन्न

आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षों की साक्ष्य सबूत प्राप्त कर एवं सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण पुनः इस न्यायालय में प्रति प्रेषित किया।

माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना मे प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य सबूत पृथक से पेश नही किया गया। प्रकरण में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवायी जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी। बहस हेतु निर्धारित तिथि को अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित हुए। न्यायालय समय में रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता को बार बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी अधिवक्ता विपक्षी अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा बहस सुनी गयी।

प्रकरण में बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि विपक्षीगण के पूर्वज श्री लक्ष्मण पिता भेरा मीणा को आवंटित आराजी संख्या 160/1 रकबा 10 बीघा के हाल आराजी नम्बर 262 रकबा 1.1500 हेक्टेयर एवं 2800/261 रकबा 1.000 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.1500 हेक्टेयर है। उक्त भूमि सार्वजनिक होने से आवंटी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त भूमि तलाई की भूमि होकर गांव के मवेशी पानी पीते है। विपक्षीगण के पिता के नाम आवंटित भूमि पर विपक्षीगण अथवा उनके पिता का आवंटन से पूर्व अथवा आवंटन के पश्चात कभी कब्जा नही रहा है, न ही कब्जे बाबत कोई उद्घोषणा जारी हुई है एवं वक्त आवंटन का कोरम भी अपूर्ण था। आवंटन आदेश में 4 सदस्यो के हस्ताक्षर के नीचे उनका पदनाम एवं दिनांक अंकित नही है। आवंटन हेतु आवेदन पत्र में आराजी नम्बर 160 में 5 बीघा भूमि आवंटन किये जाने का उल्लेख है मगर पट्टा 10 बीघा भूमि का जारी किया गया है, जो संदेहास्पद है एवं विपक्षी को खातेदारी अधिकार भी नियम विरूद्ध प्रदान किये गये है। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा भी उक्त कथन को स्वीकार किया गया है तथा मात्र खातेदारी अधिकारो के आधार पर आवंटन बहाल रखा जाना अनुचित मानते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के पिता के पक्ष में किये गये कथित आवंटन को निरस्त किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार सराडा द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2017/959 दिनांक 11.05.2017 से प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया है कि विपक्षीगण के पिता श्री लक्ष्मण पिता भेरा मीणा को वर्ष 1977 में भूमि का आवंटन होकर 29 वर्ष पश्चात् 2006 में खातेदारी अधिकार दिये गये है, जो वर्तमान में यथास्थिति में है। आवंटित भूमि दुर्गम पहाडी होकर इस भूमि पर मवेशी भी नही जा सकते है एवं आवंटी का आवंटन से आज दिनांक तक कभी कब्जा नही होकर काश्त नही की गयी है एवं इसके कुछ हिस्से पर सार्वजनिक उपयोग एवं रास्ते की भूमि है। आवंटी को बिना कब्जा वर्ष 2006 में प्रशासन गांवो के संग अभियान में कई गैर खातेदारों को दी गयी खातेदारी सूची के अन्तर्गत आवंटी को खातेदारी दी गयी है। मौके पर कब्जे के कोई निशान आदि भी मौजूद नही है।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, माननीय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2016 एवं उसमे वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण मे विवाद राजस्व ग्राम सरसिया, तहसील सराडा के आराजी संख्या 160/1 रकबा 10 बीघा भूमि जिसके हाल आराजी नम्बर 262 रकबा 1.1500 हेक्टेयर एवं 2800/261 रकबा 1.000 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.1500 हेक्टेयर से संबंधित है। उक्त भूमि पर विपक्षी गण के पिता श्री लक्ष्मण पिता भेरा को किये गये आवंटन को पूर्व में इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 4/2010 में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2011 द्वारा खातेदारी के आधार पर बहाल रखा गया था, किन्तु माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 71/2011 में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2016 द्वारा आवंटन कमेटी के कोरम पर चार सदस्यों के पदनाम व दिनांक रहित अंकित होना, भूमि आवंटन 5 बीघा के स्थान पर 10 बीघा कर दिया जाना, आवंटन अन्य स्थान पर किया जाना, 29 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार दिया जाना, भूमि मगरी होकर कभी काश्त नही होना, मिसप्रजेन्टेशन के आधार पर तथ्यो का परीक्षण न किया जाना, मात्र खातेदारी अधिकार के आधार पर आवंटन बहाल रखना आदि को अनुचित माना जाकर प्रकरण उक्त तथ्यो पर पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया है। माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित उक्त निर्णय के अनुसरण में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि विपक्षी को आवंटित भूमि के संबंध में कोरम पर चार सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य मौजूद है किन्तु उक्त हस्ताक्षर किस व्यक्ति के है एवं किस दिनांक को किये गये है का उल्लेख पत्रावली की प्रमाणित प्रति पर नहीं हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवंटन कमेटी द्वारा 5 बीघा भूमि के आवंटन बाबत् लिखा गया है, किन्तु विपक्षी को 10 बीघा भूमि पर कब्जा सुपुर्द किया गया है, जो अनुचित हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि दुर्गम पहाडीनुमा होकर मवेशी भी उक्त भूमि पर नहीं जा सकते हैं एवं आवंटी का आवंटन से आज दिनांक तक कभी कब्जा नही होकर काश्त नही की गयी है एवं इसके कुछ हिस्से पर सार्वजनिक उपयोग एवं रास्ते की भूमि है। इस प्रकार प्रकरण मे खातेदारी अधिकार गलत दिये जाना प्रथम दृष्ट्या जाहिर होता हैं। उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन के आधार पर उक्त आवंटन मे मिसप्रजेन्टेशन होने एवं गलत तथ्यों के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता हैं एंव मिसप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड़ आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता हैं। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने आर.आर.ड़ी 2002 पेज 1 मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि फ्रॉड़ और मिसप्रजेन्टेशन से किये गये कोई भी आवंटन कभी भी रद्द किये जा सकते हैं।

इस प्रकार माननीय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 71/2011 मे पारित निर्णय दिनांक 02.11.2016 मे प्रदत्त निर्देशों के क्रम मे उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देने एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली अवलोकन उपरान्त हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 स्वीकार किया जाकर उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर द्वारा मौजा सरसिया, तहसील सराड़ा की साबिक आराजी संख्या 160/1 रकबा 10 बीघा का विपक्षीगण के पूर्व पुरूष श्री लक्ष्मण पिता भेरा के पक्ष मे किया गया आवंटन दिनांक 22.10.1977 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार सराड़ा को निर्देश दिये जाते है कि विपक्षीगण को भूमि से बेदखल कर नियमानुसार भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने की कार्यवाही करावें।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर